न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेडा जिला–भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी :– महीपालसिंह, आर०ए०एस०

मुकदमा संख्या :–166/2020

1– खेमा पिता गांगू गुर्जर नि० चौहानो की खेड़ी – तह० करेड़ा

–प्रार्थी।

बनाम

1– भैरू पिता नारायण रेगर नि० चौहानो की खेड़ी – तह०

विपक्षीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा०भू०रा०अधि० 1956

:: निर्णय ::

दिनांकः 23/2/21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा० भू० राज० अधि०1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम चौहानो की खेड़ी पटवार हल्का उमरी भू०अ०नि० क्षेत्र गोरख्या में उनके खाता संख्या 185 एवं 193 की आ०नं० 126/0.04, 130/0.02, 131/0.09, 132/0.05 कित्ता – 4 रकबा 0.20 बीघा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थीगण अपने खाते/ संयुक्त खातें की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 6/10/20 को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एंव कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा–फैरी होने का अदेंशा नही है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों का देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है।

:: आदेश::

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम चौहानो की खेड़ी पटवार हल्का उमरी भू०अ०नि० क्षेत्र गोरख्या में उनके खाता संख्या 185 एवं 193 की आराजी नम्बर 126/0.04, 130/0.02, 131/0.09, 132/0.05 कित्ता 4 रकबा 0.20 बीघा भूमि स्थित है। भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू अ०नि० गोरख्या को 2100/–/– रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौंके व कब्जे की यथास्थिति को बनायें रखते हुये मुस्तकील विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नही की जावे।

सलंग्न :– प्रार्थना पत्र प्रति।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2021.03.26 16:14:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर करेड़ा
उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :– तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर करेड़ा
उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा